


07-03-24 पत्रावली पेश। वकील पार्थी या पार्थी
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज
लगाते पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः
पार्थी का यह प्रार्थना पत्र आम फ़ैली-आम
टाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा
है। पत्रावली बाद तर्कीक तर्कीक होकर
दाखिल रफ्तार हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


R
(मनोप ~~...~~ मीठा)
R-A-20